



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062020-219817
CG-DL-E-08062020-219817

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1612]
No. 1612]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2020/ज्येष्ठ 18, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2020/JYAISTHA 18, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2020

का.आ. 1795(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 14.02.2020 के पीडी-12002/04/2020- कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री सुरेश गुलाबचंद जयसवाल, सुपुत्र श्री गुलाबचंद जयसवाल, निवासी ए-26, चंद्र मणि सोसाइटी, लक्ष्मी नगर, लिंक रोड, बांगर नगर, गोरेगांव पश्चिम, मुम्बई, महाराष्ट्र-400104 को हिरासत में लिया जाए और अर्थर रोड जेल, साणे गुरुजी मार्ग, अर्थर रोड, चिंचपोकली, मुम्बई-400011 में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने या छुपाने या रखने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का तामील न किया जा सके।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, 92, डॉ. दादाभाई नौरोजी रोड, पुलिस कॉलोनी, धोबी तालाव, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एरिया, फोर्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र-400001 के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. पीडी-12002/04/2020 - कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 8th June, 2020

S.O. 1795(E).— Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12002/04/2020-COFEPOSA dated 14.02.2020 under the said sub-section directing that Mr. Suresh Gulabchand Jaiswal, S/o Mr. Gulabchand Jaiswal, R/o A-26, Chandra Mani Society, Laxmi Nagar, Link Road, Near Bangur Nagar, Goregaon West, Mumbai, Maharashtra -400104 be detained and kept in Arthur Road Jail, Sane Gureuji Marg, Arthur Road, Chinchpokli, Mumbai-400011 with a view to preventing him from smuggling goods; abetting the smuggling of goods; and engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods, in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the said Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, 92, Dr. Dadabhai Naroji Road, Police Colony, Dhobi Talao, Chhatrapati Shivaji Terminus Area, Fort, Mumbai, Maharashtra - 400001 within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. PD-12002/04/2020-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.